

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी - भारती गुप्ता(आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या - 40/23

1. अनिल कुमार शर्मा | पिसरान कृष्णहरि शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी यदुराज नगर
भरतपुर
2. त्रिलोकीनाथ शर्मा

.....वादीगण

बनाम

1. अनीतादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी 19 ममनोही कॉलोनी कमला नगर
आगरा
2. मानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी बरसो
3. रीनूसिंह पत्नी बृजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी स्वर्ण जयन्ती नगर भरतपुर
4. मंजू पत्नी जगतसिंह जाति ठाकुर निवासी अजीतनगर कॉलोनी भरतपुर
5. महेन्द्र पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी बरसो
6. सावित्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बरसो
7. देवेन्द्र सिंह
8. वीरेन्द्रसिंह | पिसरान मानिकचंद जाति जाट निवासी बरसो
9. विनोद कुमार दीक्षित पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी घुस्यारी
10. तहसीलदार भरतपुर
11. सब रजिस्ट्रार भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 22.4.26

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस
आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 280,281,282,283,308 वाके ग्राम बरसो

31/4/26
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसमें मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण से विभाजन कराने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया।

विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण में विधिक रूप से कोई बटवारा नहीं हुआ है इस कारण वादीगण आराजीयात विवादग्रस्त का हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी का बटवारा करा पाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1,4,3,2,9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता वक्त बहस अपने कथनों को दोहराया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया। दावा विभाजन का है बहस के दौरान उभयपक्ष अभिभाषक ने प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया तहसीलदार भरतपुर को कुरा विभाजन हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार भरतपुर ने अपने पत्रांक भू0अ0/2026/2449 दिनांक 17. 04.2026 से निम्नानुसार कुरा रिपोर्ट प्रस्तुत की—

कुरा नं 1 – आराजी खनं 280/1/0.0333, 281/1/0.0375 किता/01 रकवा/0.0708 है0 पर रीनू सिंह पत्नि बिजेन्द्र कुमार सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 स्वर्ण जयनती नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 2 – आराजी खनं 280/2/0.1667, 283/3/0.0395, 282/0.1800, 281/3/0.0898, 308/1/0.0576 किता/05 रकवा/0.5336 है0 पर त्रिलोकीनाथ पुत्र कृष्णहरि हि0 पूर्ण ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 3 – आराजी खनं 283/2/0.0455 किता/01 रकवा/0.0455 है0 पर देवेन्द्र वीरेन्द्र पि0 मानिकचन्द हि0 बरा0 400/455 महेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह हि0 55/455 जाति जाट सा0 बरसो खातेदार।

कुरा नं 4 – आराजी खनं 283/1/0.1550 किता/01 रकवा/0.1550 है0 पर हेमेन्द्र पुत्र जगन सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 नगला गोपाल खातेदार।

कुरा नं 5 – आराजी खनं 281/2/0.1627 किता/01 रकवा/0.1627 है0 पर अनिल कुमार शर्मा पुत्र कृष्णहरि शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 6 – आराजी खनं 281/4/0.02, 308/3/0.0150 किता/02 रकवा/0.0350 है0 पर मंजू पत्नि जगत सिंह हि0 पूर्ण जाति ठाकुर सा0 अजीत नगर कॉलोनी सारस होटल के पास भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 7 – आराजी खनं 308/2/0.0974 किता/01 रकवा/0.0974 है0 पर विनोद कुमार दीक्षित पुत्र मुरारीलाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 घुस्यारी खातेदार।

अधिवक्ता
उपलब्ध अधिकारी
भरतपुर

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादी कुरे अनुसार स्वीकार किया जाता है।

कुरा नं 1 - आराजी खनं 280/1/0.0333, 281/1/0.0375 किता/01 रकवा/0.0708 है0 पर रीनू सिंह पत्नि बिजेन्द्र कुमार सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 स्वर्ण जयनती नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 2 - आराजी खनं 280/2/0.1667, 283/3/0.0395, 282/0.1800, 281/3/0.0898, 308/1/0.0576 किता/05 रकवा/0.5336 है0 पर त्रिलोकीनाथ पुत्र कृष्णहरि हि0 पूर्ण ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 3 - आराजी खनं 283/2/0.0455 किता/01 रकवा/0.0455 है0 पर देवेन्द्र वीरेन्द्र पि0 मानिकचन्द्र हि0 बरा0 400/455 महेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह हि0 55/455 जाति जाट सा0 बरसो खातेदार।

कुरा नं 4 - आराजी खनं 283/1/0.1550 किता/01 रकवा/0.1550 है0 पर हेमेन्द्र पुत्र जगन सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 नगला गोपाल खातेदार।

कुरा नं 5 - आराजी खनं 281/2/0.1627 किता/01 रकवा/0.1627 है0 पर अनिल कुमार शर्मा पुत्र कृष्णहरि शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 6 - आराजी खनं 281/4/0.02, 308/3/0.0150 किता/02 रकवा/0.0350 है0 पर मंजू पत्नि जगत सिंह हि0 पूर्ण जाति ठाकुर सा0 अजीत नगर कॉलोनी सारस होटल के पास भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 7 - आराजी खनं 308/2/0.0974 किता/01 रकवा/0.0974 है0 पर विनोद कुमार दीक्षित पुत्र मुरारीलाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 घुस्यारी खातेदार।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। कुरा रिपोर्ट निर्णय व डिक्री के जुज रहेगा।

निर्णय दिनांक 23-4-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती गुप्ता, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

प्राथमिक डिगरी व मुकदमे इत्तदाई
ओ. 20 नि. 6-7 जाप्ता दीवानी
(civil procedure code Append ND-1)
न्यायालय उपखंड अधिकारी, भरतपुर
पीठासीन अधिकारी – भारती गुप्ता, आर.ए.एस.
राजस्व दावा संख्या – 40/23

1. अनिल कुमार शर्मा | पिसरान कृष्णहरि शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी यदुराज नगर
भरतपुर
2. त्रिलोकीनाथ शर्मा

.....वादीगण

बनाम

3. अनीतादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी 19 ममनोही कॉलोनी कमला
नगर आगरा
4. मानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी बरसो
5. रीनूसिंह पत्नी बृजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी स्वर्ण जयन्ती नगर भरतपुर
6. मंजू पत्नी जगतसिंह जाति ठाकुर निवासी अजीतनगर कॉलोनी भरतपुर
7. महेन्द्र पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी बरसो
8. सावित्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बरसो
9. देवेन्द्र सिंह |
10. वीरेन्द्रसिंह | पिसरान मानिकचंद जाति जाट निवासी बरसो
11. विनोद कुमार दीक्षित पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी घुस्यारी
12. तहसीलदार भरतपुर
13. सब रजिस्ट्रार भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा वादी स्वीकार किया जाकर कुरा नं 1 – आराजी खनं 280/1/0.0333, 281/1/0.0375
किता/01 रकबा/0.0708 है0 पर रीनू सिंह पत्नि बिजेन्द्र कुमार सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0
स्वर्ण जयनती नगर भरतपुर खातेदार।

रा.ग.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

कुरा नं 2 - आराजी खनं 280/2/0.1667, 283/3/0.0395, 282/0.1800, 281/3/0.0898, 308/1/0.0576 किता/05 रकवा/0.5336 है0 पर त्रिलोकीनाथ पुत्र कृष्णहरि हि0 पूर्ण ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 3 - आराजी खनं 283/2/0.0455 किता/01 रकवा/0.0455 है0 पर देवेन्द्र वीरेन्द्र पि0 मानिकचन्द्र हि0 बरा0 400/455 महेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह हि0 55/455 जाति जाट सा0 बरसो खातेदार।

कुरा नं 4 - आराजी खनं 283/1/0.1550 किता/01 रकवा/0.1550 है0 पर हेमेन्द्र पुत्र जगन सिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 नगला गोपाल खातेदार।

कुरा नं 5 - आराजी खनं 281/2/0.1627 किता/01 रकवा/0.1627 है0 पर अनिल कुमार शर्मा पुत्र कृष्णहरि शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 यदुराज नगर भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 6 - आराजी खनं 281/4/0.02, 308/3/0.0150 किता/02 रकवा/0.0350 है0 पर मंजू पत्नि जगत सिंह हि0 पूर्ण जाति ठाकुर सा0 अजीत नगर कॉलोनी सारस होटल के पास भरतपुर खातेदार।

कुरा नं 7 - आराजी खनं 308/2/0.0974 किता/01 रकवा/0.0974 है0 पर विनोद कुमार दीक्षित पुत्र मुरारीलाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 घुस्यारी खातेदार।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज तारीख 22.4.24 के जारी की गई हैं।

Sanat
(भारती गुप्ता, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर